म.प्र.राज्य कृषि विपणन बोर्ड
26 अरेरा हिल्स, किसान भवन, जेल रोड, भोपाल

क्र0/मंडी/प्रांगण/3/1/ब/पार्ट–7/मुरैना/1065 भोपाल दिनांक 28.12.2019

प्रति,
संयुक्त संचालक/उपसंचालक
म0प्र0 राज्य कृषि विपणन बोर्ड,
आंचलिक कार्यालय................(समस्त)

विषयः– प्रदेश की कृषि उपज मंडी समितियों के मंडी प्रांगण में आवंटित भूखण्ड/सरंचना के लीज नवीनीकरण के संबंध मे।

संदर्भः– कार्यालयीन पत्र क्रमांक/मण्डी/प्रांगण/45/55/635 दिनांक 15.09.2009, पत्र क्रमांक/मंडी/प्रांगण/24/2/ब/पार्ट–3/579 दिनांक 05.07.2016, पत्र क्रमांक/मंडी/प्रांगण/3/1/ब/पार्ट/मुरैना/2438–39 दिनांक 12.01.2018, पत्र क्रमांक /मंडी/ प्रांगण/3/1/ब/पार्ट–7/मुरैना/2863–64दिनांक 13.04.2018, पत्र क्रमांक/मंडी/ प्रांगण/46/41/कार्य योजना/4686 दिनांक 12.11.2018

विषायांतर्गत लेख है, कि प्रदेश की कृषि उपज मंडी समितियों के मंडी प्रांगण/उपमंडी प्रांगण में अनुज्ञप्तिधारी व्यापारीयो/शासकीय/अर्द्धशासकीय तथा सहकारी संस्थाओं को आवंटित भूखण्ड/सरंचानाओ की लीज अवधि समाप्त होने पर लीज नवीनीकरण म0प्र0 कृषि उपज मंडी समिति (भूमि एवं सरंचना का आवंटन) नियम 2009 के विहित प्रावधानों के तहत किये जाने हेतु संदर्भित पत्रो के माध्यमों से निर्देश जारी किये गये थे, किन्तु मंडी समितियों द्वारा जिन भूखण्ड/सरंचानाओ की लीज अवधि समाप्त हो चुकी है, उनका लीज नवीनीकरण न करते हुये उनके प्रस्ताव आपके द्वारा मुख्यालय को प्रेषित किये गये है, जबकि प्रचलित नियमों के तहत अनुज्ञप्ति नवीनीकरण हेतु मंडी समिति सक्षम है।

कृषि उपज मंडी समितियो के मंडी प्रांगण/उपमंडी प्रांगण में भूखण्ड/सरंचना मंडी समितियो द्वारा लीज अवधि समाप्त होने पर लीज नवीनीकरण नहीं किये जाने के संबंध में विभिन्न माध्यमों से व्यापारी सदस्यों एवं संस्थाओं से आवेदन प्राप्त हो रहे है।

माननीय मंत्री, किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग सहअध्यक्ष मंडी बोर्ड ने मंडी समितियों के द्वारा लीज नवीनीकरण न किये जाने के संबंध में दिनांक 23.12.2019 को समीक्षा की गई। आंचलिक अधिकरीयों/सचिव, कृषि उपज मंडी समितियों द्वारा आवंटन नियम 2009 के विहित प्रावधानो के तहत अनुज्ञप्ति नवीनीकरण न किये जाने के संबंध में अप्रसन्नता व्यक्त की गई।

अतः निर्देशित किया जाता है, कि अपने अंचल की कृषि उपज मंडी समितियों में भूखण्ड/सरंचना के लंबित अनुज्ञप्ति नवीनीकरण के प्रकरणो को दिनांक 15 जनवरी 2020

तक लीज नवीनीकरण की कार्यवाही पूर्ण करे, इसके साथ ही सचिवो, की मासिक समीक्षा बैठक के एजेण्डे में उक्त बिन्दु को सम्मिलत कर उसकी निरंतर समीक्षा की जावे तथा प्रगति से मुख्यालय को अवगत कराना सुनिश्चित करें।

(अशोक कुमार वर्मा)
प्रबंध संचालक
म0प्र0राज्य कृषि विपणन बोर्ड,
भोपाल

क्र0/मंडी/प्रांगण/3/1/ब/पार्ट--7/मुरैना/ 1066 भोपाल दिनांक28.12.2019

प्रतिलिपि,

1. विशेष सहायक, माननीय मंत्रीजी, म.प्र. शासन किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग मंत्रालय भोपाल।
2. निज सहायक, प्रबंध संचालक म.प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड भोपाल।
3. अपर संचालक (समस्त), म.प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड भोपाल।
4. भारसाधक अधिकरी/सचिव कृषि उपज मंडी समिति जिला...............(समस्त) की ओर भेजकर निर्देशित किया जाता है कि लंबित प्रकणों को लीज नवीनीकरण की कार्यवाही 15.01.2020 तक प्रचलित नियमों के तह्त कार्यवाही की जाना सुनिश्चित करें।
5. कार्यपालन यंत्री, म.प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड, तकनीकी संभाग..............(समस्त) की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु सूचनार्थ प्रेषित।

प्रबंध संचालक
म0प्र0 कृषि विपणन बोर्ड,
भोपाल